भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 690

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते का विस्तार

690 श्री मिलिंद मुरली देवरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते को बढ़ाने के लिए मर्कोसुर के साथ चर्चाएँ शुरू की गई हैं;

(ख) बातचीत की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या इस विस्तार में अधिक टैरिफ लाइनों और अधिक रियायतों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या गैर- टैरिफ बाधाओं, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं और निवेश को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ङ) वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा और भावी लक्ष्य क्या हैं; और

(च) विस्तार से निर्यात बाजारों का विविधीकरण किस प्रकार किया जाएगा और दक्षिण-दक्षिण व्यापार लिंकेज को कैसे मजबूत किया जाएगा?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) की संयुक्त प्रशासन समिति (जेएसी) की चौथी बैठक हाल ही में मौजूदा पीटीए के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, पीटीए के सभी भागीदार एक निश्चित समय सीमा के भीतर पीटीए के दायरे के विस्तार की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए सहमत हुए। यह विस्तार उन संदर्भ शर्तों पर आधारित होगा जिन पर सभी पक्षों के बीच समय के साथ

सहमति बन सकती है। जिससे भारत और मर्कोसुर सदस्यों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में विभिन्न संभावित क्षेत्र शामिल होगें। वर्तमान में, पीटीए भारत से लगभग 450 टैरिफ लाइनों और मर्कोसुर से 452 टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जिसमें टैरिफ रियायतें 10% और 100% के बीच हैं।

(ङ) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत और मर्कोसुर देशों (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे) के बीच कुल व्यापार 17.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात में 8.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात में 9.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-अक्टूबर) में, कुल द्विपक्षीय व्यापार 11.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 5.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 6.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात है।

(च) विस्तार, जब भी होता है, मौजूदा प्राथमिकताओं को मजबूत करके और उत्पाद कवरेज को व्यापक करके दक्षिण-दक्षिण व्यापार और सहयोग को काफी बढ़ावा देने की उम्मीद है। अधिक टैरिफ लाइनें जोड़कर और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके, यह समझौता भारतीय और मर्कोसुर अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरकता को मजबूत कर सकता है। इससे भारत को अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने और वैश्विक दक्षिण में अधिक लचीली और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन देने में मदद मिलेगी।
